संख्या-144/2018/85/22-2-2018-17(160)/2012टी0सी0

प्रेषक,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 ***लखनऊ: दिनांक 06 फरवरी, 2018***

विषय:-केन्द्रीय कारागार, नैनी, इलाहाबाद में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी राम नरेश पुत्र श्री बुल्ली यादव निवासी जनपद-चित्रकूट की दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-745/प्रोबे-5-द0या0/बैठक-17.12.2017, दिनांक 05.01.2018 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, नैनी, इलाहाबाद में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी राम नरेश पुत्र श्री बुल्ली यादव, जो डांडी का पुरवा मजरे-कर्का पडरिया, थाना-बाहिलपुरवा, जनपद-चित्रकूट का रहने वाला है। बन्दी द्वारा आपसी विवाद को लेकर घटना दिनांक 23.05.1989 को 01 सहअभियुक्त के साथ मिलकर तमन्चा से फायर करके 01 व्यक्ति की हत्या कारित की। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-29/1990 में भा0द0वि0 की धारा-302 के अन्तर्गत मा0 अपर सत्र न्यायाधीश, कर्वी के आदेश दिनांक 24.05.1995 द्वारा आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया, जिसे मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 22.04.1996 द्वारा यथावत रखा गया। बन्दी द्वारा दिनांक 15.12.2017 तक 21 वर्ष 06 माह 15 दिन की अपरिहार सजा तथा 28 वर्ष 07 माह 21 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। बन्दी का जेल आचरण वर्तमान में संतोषजनक है। पुलिस अधीक्षक ने बन्दी द्वारा किये गये जघन्य अपराध से समाज के व्यापक रूप से प्रभावित होने, पुन: अपराध करने की प्रबल संभावना होने तथा अपराध करके फरार हो जाने की संभावना के आधार पर समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की है। जिला मजिस्ट्रेट द्वारा अपनी आख्या में अंकित किया गया है कि बन्दी का दस्यु गैंग से सम्बन्ध रहा है और इस बात की पूर्ण संभावना है कि बन्दी पुन: दस्यु गैंग में

शामिल होगा और गैंग की मदद करेगा जो समाज के लिए अहितकारी होगा। जिला मजिस्ट्रेट द्वारा उक्त तथ्यों के आधार पर अपनी आख्या में बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। दयायाचिका समिति द्वारा बन्दी की कारित अपराध की प्रकृति व आयु तथा जिला मजिस्ट्रेट/पुलिस अधीक्षक द्वारा समयपूर्व मुक्ति की संस्तुति न किये जाने के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- अतः उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि बन्दी रामनरेश (बन्दी संख्या-4963/98) पुत्र श्री बुल्ली यादव, निवासी जनपद-चित्रकूट की संविधान के अनुच्छेद-161 के अन्तर्गत दया याचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त शासन द्वारा **अस्वीकार** कर दी गयी है। कृपया उपरोक्त से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

संख्या-144/2018/85(1)/22-2-2018 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- जिला मजिस्ट्रेट, चित्रकूट।
2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, नैनी, इलाहाबाद।
3- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार विभाग को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
4- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(कलाम मुहीउद्दीन)
उप सचिव।